भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 724
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए योजना

724. श्री गोडम नागेशः
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए कोई योजना शुरू की है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार ने आयात निर्भरता को कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इसके लिए कार्यक्रम संबंधी कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

(i) *चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:* इस योजना का वित्तीय परिव्यय 3,420 करोड़ रुपए है और इसकी अवधि वित्तीय वर्ष 2020-2021 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक है। इस योजना के तहत, चयनित कंपनियां चार लक्ष्य खंडों (1) रेडियोथेरेपी, (2) इमेजिंग उपकरण, (3) एनेस्थीसिया, कार्डियो-रेस्पिरेटरी और क्रिटिकल केयर, (4) प्रत्यारोपण के अन्तर्गत भारत में विनिर्मित चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री पर पांच वर्षों की अवधि के लिए 5% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। अब तक 19 ग्रीनफील्ड परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं और 49 उत्पादों के लिए उत्पादन शुरू हो गया है, जिसमें उच्च-स्तरीय चिकित्सा उपकरण जैसे लीनियर एक्सेलेरेटर, एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन, मैमोग्राम, सी-आर्म्स और अल्ट्रासाउंड मशीनें शामिल हैं जिन्हें आयात किया जा रहा था। योजना के तहत आवेदकों ने दिसंबर 2024 तक 9,117.26 करोड़ रुपए की संचयी बिक्री की है, जिसमें 4,398.36 करोड़ रुपए की निर्यात बिक्री भी शामिल है।

(ii) *चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन की योजना:* इस योजना का उद्देश्य पार्कों में स्थित चिकित्सा उपकरण इकाइयों को विश्व स्तरीय, साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं तक सुगम पहुंच प्रदान करना है। इसका वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपए है। प्रस्तावित चिकित्सा उपकरण पार्कों में साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(iii) *चिकित्सा उपकरण उद्योग के सुदृढ़ीकरण की योजना* : 500 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना को चिकित्सा उपकरण उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 08.11.2024 को निम्नलिखित पांच उप-योजनाओं के तहत शुरू किया गया है:

(1) चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों के लिए साझी सुविधाएं;
(2) आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना;
(3) चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास;
(4) चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना; और
(5) चिकित्सा उपकरण प्रोत्साहन योजना।

*****